



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संख्या: ए.ए.आई./विज/आरटीआई/520 & 521/2026/393-394

दिनांक: 11.05.2026

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के लिए अनुरोध।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया आपके द्वारा जमा की गई ऑनलाइन आरटीआई आवेदन AAOIN/R/E/26/00380 दिनांक 16.03.2026 का संदर्भ लें, जो कि इस विभाग को RTI MIS पोर्टल के माध्यम से दिनांक 27.4.2026 को प्राप्त हुई। उपरोक्त आरटीआई आवेदन के माध्यम से मांगी गई जानकारी एवं उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मांगी गई जानकारी	उपलब्ध जानकारी
	It is requested to provide the following information under RTI Act 2005, related to Gaya airport from CHQ, AAI, New Delhi.	कथन Statement
5	How many vigilance/corruption/molestation/sexual exploitation/harshment of employees at workplace, cases are registered/under investigation at AAI level?	सतर्कता विभाग से संबन्धित मांगी गई सूचना विशिष्ट ना होने के कारण उपलब्ध नहीं की जा सकती। बाकी की जानकारी के लिए, सूचना के संरक्षक के ज.सू.अ/महाप्रबंधक(मा.सं.), अनुशासनिक प्रकोष्ठ, निगमित मुख्यालय है। Since the Information sought pertaining to Vigilance Department is not specific, it cannot be provided. For rest of the sought information, Custodian of information is GM[HR]/CPIO, Disciplinary Cell, CHQ.
6	Was there any adverse report of vigilance, corruption etc was reported against him at the previous station?	मांगी गई सूचना विशिष्ट ना होने के कारण उपलब्ध नहीं की जा सकती। Since the Information is not specific, it cannot be provided.

2. यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस पत्र की प्राप्ति के तिथि से 30 दिन के भीतर श्री राजगुरु जैन, महाप्रबंधक(सतर्कता), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली 110 003 को अपील कर सकते हैं।

भवदीय,
(सचिन कुमार मित्तल) 15/5/26

उप. मुख्य सतर्कता अधिकारी (अन्वेषण)/केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

राजीव गांधी भवन
Rajiv Gandhi Bhawan

सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली- 110003
Safdarjung Airport, New Delhi-110003

दूरभाष: 011-24632950
Phone: 011-24632950

जारी किया
12/05/2026

आवश्यक कार्यवाही हेतु- श्रीमती मीतू जैन, महाप्रबंधक (मानव संसाधन)/ केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
(अनुशासनिक सेल), क्रम संख्या 5 के लिए आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु।